न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : गार्गी चौधरी, RJS

फौजदारी प्रकरण संख्या : 2442/2018

CIS संख्या : 2442/2018

FIR संख्या व पुलिस थाना : 341/2017 पुलिस थाना मानटाउन

CNR संख्या : RJSM020046182018

सरकार बनाम मक्खन लाल

अपराध अन्तर्गत धारा 170, 385, 388 IPC

भाग प्रथम

A

परिवादी	सीताराम पुत्र स्व. शिवबक्स निवासी 190 MP कॉलोनी, मानटाउन
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्त का विवरण	मक्खन लाल पुत्र गोपीलाल निवासी काजी कुण्डली थाना बाटोदा
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गोविंद प्रसाद शर्मा

B

घटना की दिनांक	06.07.2017
इस्तगासा पेश किये जाने की दिनांक	18.09.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.10.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	19.12.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.02.2024
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	12.02.2024
बयान मुल्जिम की दिनांक	05.05.2026
निर्णय दिनांक	10.06.2026

भाग –द्वितीय

अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	नरेश कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.2	महेश्वर लाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.3	कुलदीप	अन्य गवाह

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	सीडी वार्ता स्क्रिप्ट
2	प्रदर्श पी.2	इस्तगासा
3	प्रदर्श पी.3	चाक एफआईआर
4	प्रदर्श पी.4	कॉल डिटेल रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी.5	पुलिस बयान कुलदीप

भौतिक वस्तुएं

क्रम सं.	आर्टिकल संख्या	विवरण
1	आर्टिकल–1	मूल सीडी

:: **निर्णय** :: दिनांक : 10.06.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी सीताराम ने एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि वह एमपी कॉलोनी का निवासी है एवं परिवादी को मक्खन लाल आये दिन रुपये ऐंठने की धमकी देता रहता था एवं किसी से फोन करवाकर धमकी दिलवाता रहता था एवं उसके विरुद्ध पुलिस थानों में कई फौजदारी प्रकरण लंबित हैं। दिनांक 06.07.2017 को रात्रि करीब 10 बजे वह अपने घर पर था तो परिवादी के मोबाइल नंबर 9414030358 पर एक अन्य मोबाइल नंबर 9783445599 से कॉल आया एवं कॉल करने वाले ने अपना नाम मनीष शर्मा, एसीपी (एसओजी) क्राइम ब्रांच देहली होना बताया और परिवादी से कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज है, तुम या तो मूलचंद मीना को पैसे दे दो नहीं तो तुम्हें उठाकर बंद कर दूंगा और

किसी को पता भी नहीं चलेगा। परिवादी ने कहा कि मेरी तरफ कोई पैसे बाकी नहीं हैं जिस पर आरोपी ने परिवादी से कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिये तो मैं तुम्हें ऐसे केस में फसाऊंगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी और मैं मक्खन लाल तथा मूलचंद गाडियां लेकर आ रहे हैं और तुम्हें उठाकर ले जाते हैं .... इत्यादि। उक्त इस्तगासे को पुलिस थाना मानटाउन में प्रेषित किये जाने पर पुलिस थाना मानटाउन में FIR No. 341/2017, अंतर्गत धारा 420, 388 IPC में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त मक्खन लाल के विरूद्ध धारा 170, 385, 388 IPC के अपराध में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 170, 385, 388 IPC का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य को पृष्ठ संख्या 2 पर दर्शाया गया है।

4. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जा.फौज. के तहत किया गया तो अभियुक्त ने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना प्रकट किया।

5. बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी की ओर से मौखिक बहस कर निवेदन किया गया है कि मुल्जिम द्वारा परिवादी को फोन पर पैसे देने की धमकी दी गई है एवं पैसे नहीं देने पर अन्य झूठे प्रकरणों में फंसाने का कृत्य किया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। अतः उक्त अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

6. जबकि इसके विपरीत बचाव में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस की गई है कि इस संबंध में पत्रावली पर केवल मात्र तीन गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, स्वयं परिवादी भी इस संबंध में न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है जिस कारण घटना के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है एवं पत्रावली पर परीक्षित गवाह औपचारिक गवाह हैं जिनकी साक्ष्य का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदू यह है कि 'क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.07.2018 को समय रात्रि करीब 10 बजे मौजा एमपी कॉलोनी सवाई माधोपुर में स्वयं को मनीष शर्मा, एसीपी (एसओजी) क्राइम ब्रांच दिल्ली बताकर परिवादी सीताराम को फोन करके अवैध रूप से छद्म प्रतिरूपण करते हुए पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर झूठे मुकदमे में

फंसाने की धमकी देकर उसे भय में डालने का प्रयत्न किया एवं परिवादी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कर उसे जेल में डालने की धमकी देकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 170, 385, 388 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है?' यदि हां, तो इसके लिए क्या उचित दण्ड होगा?

–:अपराध अंतर्गत धारा 170, 385, 388 भा.दं.सं. के संबंध में न्यायालय का विनिश्चय:–

उक्त वर्णित अपराध के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि "क्या अभियुक्त ने स्वयं को मनीष शर्मा, एसीपी (एसओजी) क्राइम ब्रांच दिल्ली बताकर परिवादी सीताराम को फोन करके अवैध रूप से छद्म प्रतिरूपण करते हुए पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसे भय में डालने का प्रयत्न किया एवं परिवादी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कर उसे जेल में डालने की धमकी दी?"

8. अब यदि इस संबंध में पत्रावली पर परीक्षित गवाहान की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी सीताराम के फौत हो जाने के कारण उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो पाया है जिस कारण उक्त गवाह की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाने के कारण घटना के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है।

9. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य गवाह कुलदीप पी.ड.3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है एवं क्या बात हुई, उसे पता नहीं है एवं थाने में उसके कोई बयान नहीं लिये। उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.5 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इनकार किया है एवं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मक्खन लाल उसके जीजा लगते हैं एवं इस तथ्य से इनकार किया है कि उसके मोबाइल नंबर को उसके जीजा मक्खन लाल काम में लेते हों।

10. प्रकरण के अन्य गवाह नरेश कुमार पी.ड.1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 11.04.2018 को पुलिस थाना मानटाउन में कार्यरत था। उस दिन महेश्वर लाल ASI ने मुकदमा संख्या 341/2017 में एक सीडी उसके सामने पेश की और कम्प्यूटर में चलाने को कहा जिस पर उसने सीडी को कम्प्यूटर में चलाया तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसे महेश्वर जी ने सुनकर अपने हिसाब से लिखा जिसकी स्क्रिप्ट प्रदर्श पी.1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सीडी में पैसों के लेनदेन के संबंध में वार्तालाप हो रहा था। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने जो बात सुनीं उसमें यह नहीं सुना कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को फोन किया था एवं बातचीत में कोई फोन नंबर का जिक्र नहीं हुआ था व सीडी किस कंपनी की थी एवं किस मार्का की थी, उसे जानकारी नहीं है।

11. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी महेश्वर लाल पी.ड.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान कार्यवाही की ताईद करते हुए अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्टिकल–1 सीडी टूटी हुई है जो कि चलने की स्थिति में नहीं है। साथ ही गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.1 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.4 पर परिवादी व मुल्जिम के बीच हुई वार्ता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं है एवं कॉल डिटेल में दर्शाये गये नंबर मुलजिम व परिवादी के हों, ऐसा भी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने परिवादी व मुल्जिम के बीच जो वार्ता हुई, उस संबंध में दोनों पक्षों के वॉयस टेस्ट नहीं करवाये थे।

12. अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी सीताराम द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये इस्तगासे प्रदर्श पी.2 पर आधारित है परंतु उक्त परिवादी सीताराम के फौत हो जाने के कारण उक्त गवाह की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आने से उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र प्रदर्श पी.2 में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त गवाह कुलदीप पी.ड.3 न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही होकर घटना के संबंध में जानकारी होने से पूर्णतः इनकार करता है, इसके अतिरिक्त गवाह नरेश कुमार पी.ड.1 अधिवक्ता मुलजिम द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो बातें सुनीं उसमें किसी फोन नंबर का जिक्र नहीं हुआ था एवं फोन किस व्यक्ति ने किसे किया था, इस बारे में भी उसे जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी महेश्वर लाल पी. ड.2 ने अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पत्रावली पर पेश की गई सीडी आर्टिकल–1 टूटी हुई अवस्था में है जो चलने की स्थिति में नहीं है एवं उक्त वार्तालाप जिन नंबरों से हुई, वे परिवादी व मुल्जिम के हों, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है।

13. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो असल सीडी जिसे आर्टिकल–1 के रूप में पेश किया गया है, टूटी हुई अवस्था में होने के कारण उक्त सीडी चलने की स्थिति में नहीं है जिस कारण पक्षकारान के मध्य हुई वार्ता की पुष्टि नहीं हो पाई है एवं इस संबंध में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी महेश्वर लाल पी.ड.2 ने अधिवक्ता मुलजिम द्वारा की गई जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सीडी आर्टिकल–1 के टूटी हुई होने के कारण वह सिस्टम में नहीं चल सकती। इसके अतिरिक्त पक्षकारान की कॉल डिटेल को पत्रावली पर प्रदर्श पी.4 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया गया है, जिसके अवलोकन से यह कहीं

भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त फोन नंबर परिवादी एवं मुल्जिम के हों एवं इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी महेश्वर लाल पी.ड.2 ने अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि कॉल डिटेल में जो नंबर दर्शित हैं, वे मुल्जिम व परिवादी के हों, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है।

14. अतः उक्त समस्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य को अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि 'अभियुक्त ने दिनांक 06.07.2018 को समय रात्रि करीब 10 बजे मौजा एमपी कॉलोनी सवाई माधोपुर में स्वयं को मनीष शर्मा, एसीपी (एसओजी) क्राइम ब्रांच दिल्ली बताकर परिवादी सीताराम को फोन करके अवैध रूप से छद्म प्रतिरूपण करते हुए पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसे भय में डालने का प्रयत्न किया एवं परिवादी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कर उसे जेल में डालने की धमकी दी।' जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त उक्त आरोपित अपराधों में दोषमुक्ति का पात्र है।

–: आदेश :–

15. अभियुक्त मक्खन लाल पुत्र गोपीलाल निवासी काजी कुण्डली थाना बाटोदा को अपराध धारा 170, 385, 388 IPC के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(गार्गी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

16. निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(गार्गी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर